प्रेषक,

जयन्त नार्लिकर,
विशेषसचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवामें,

निदेशक,
सुपर स्पेशियलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट एण्ड हास्पिटल,
चकगंजरिया, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 20 अगस्त, 2018

विषयः- वित्तीय वर्ष 2018-19 में जनपद लखनऊ में उच्च स्तरीय कैंसर संस्थान की स्थापना हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-एसएससीआई/एसीसी-03/34/2018, दिनांक 11 जुलाई 2018 का कृपया संदर्भ लेने का कष्ट करें।

2- जनपद लखनऊ में कैंसर इंस्टीट्यूट एण्ड हास्पिटल चकगंजरिया, लखनऊ की स्थापना हेतु शासनादेश संख्या-726/71-2-15-के0एस-01/2014 दिनांक 26 फरवरी, 2015 द्वारा रू0 854.5145 करोड की प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष निम्नलिखित शासनादेशों के माध्यम से अबतक रू0 551.72385 करोड की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है:-

क्र0	शासनादेश संख्या एवं दिनांक	धनराशि (करोड में)
1	1391/71-2-14-के0एस-01/2014 दिनांक 15-7-2014	07.0000
2	38/2015/1128/71-2-15-के0एस-01/2014 दिनांक 30-3-2015	31.18500
3	1146/71-2-15-के0एस-01/2014 दिनांक 31-3-2015	06.54885
4	86/2015/3961/71-2-15-के0एस-01/2014 दिनांक 20-10-2015	210.78050
5	87/2015/3962/71-2-15-के0एस-01/2014 दिनांक 29-10-2015	10.60500
6	121/2016/4079/71-2-16-के0एस-01/2014 दिनांक 13-10-2016	189.3945
7	122/2016/4079/71-2-16-के0एस-01/2014 दिनांक 13-10-2016	10.6050
8	87/2017/5857/71-2-17-के0एस-01/2014 दिनांक 15-12-2017	37.5000
9	88/2017/5885/71-2-17-के0एस-01/2014 दिनांक 15-12-2017	7.8750
10	36/2018/949/71-2-18-के0एस-01/2014 दिनांक 08-3-2018	37.50
11	37/2018/953/71-2-18-के0एस-01/2014 दिनांक 08-3-2018	2.73
	योग-	551.72385

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में जनपद लखनऊ में सुपर स्पेशियलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट एण्ड हास्पिटल, चकगंजरिया की स्थापना/निर्माण कार्य हेतु रू0 01,00,00,000/- (रूपया एक करोड मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार/नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि को बैक/डाकघर/पी0एल0ए0 में नहीं रखा जायेगा।
2) प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।
3) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व संस्थान/कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गतन तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में अच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
4) प्रायोजना हेतु पूर्व निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5) कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था/गुणवत्ता नियंत्रण हेतु नामित कन्सलटेंट मुकेश एण्ड एसोसिएटेड/सक्षम प्राधिकारी की होगी। वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30-3-2018 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्णत: अनुपालन किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6) स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा तथा व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।
7) निर्माण कार्यो की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/संस्थान द्वारा सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।
8) धनराशि को कोषागार से संस्थान के वित्त नियंत्रक द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के लेखाशीर्षक ''4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-59-कैन्सर संस्थान लखनऊ-24-वृहत निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के आदेश संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक30 मार्च, 2018 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किये गये अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(जयन्त नार्लिकर)
विशेष सचिव।

संख्या- 114/2018/2309(1)/71-2-18-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2) स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3) जिलाधिकारी, लखनऊ।
4) मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
5) महानिदेशक, चिकित्साशिक्षाएवंप्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
6) वित्तई-3/नियोजनअनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
7) स्थानीयनिधिलेखापरीक्षाविभाग, उ0प्र0।
8) महाप्रबन्धक/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 रा0नि0नि0लि0, लखनऊ।
9) स्पीड पोस्ट- मै0 मुकेश एण्ड एसोसिएटेड डिवीजन-2, 2/6 रंगनाथर एवेन्यू, पेरूमा मलाई मेन रोड, नारासाथीपट्टी, सलीम- 636006 (तमिलनाडू)
10) स्पीड पोस्ट- मै0 आर्कोम, सी 28, सेक्टर-8, नोएडा-201301
11) मेसर्स शापूरजी पालोनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 रा0नि0नि0लि0, लखनऊ।
12) गार्डबुक।

आज्ञासे,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
अनुसचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.upnic.in